

संचिका सं०-10/यो०-1-01/2015 (पार्ट) 143 (10)

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

वित्त विभाग से
परामर्शित

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना ।

पटना, दिनांक-14-06-19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में विमुक्त राजकोषीय माध्यम से NHM अन्तर्गत Other Health System for Activities Covered under NRHM एवं Flexible Pool for Non Communicable Diseases मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 152.59+12.97=165.56 करोड़ (एक सौ पैंसठ करोड़ छप्पन लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 101.7266+8.6466=110.3733 करोड़ (एक सौ दस करोड़ सैंतीस लाख तेतीस हजार रुपये) अर्थात् कुल 275.9333 करोड़ (दो सौ पचहत्तर करोड़ तिरानवे लाख तेतीस हजार रुपये) वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि में से राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित स्वीकृति ।

आदेश: स्वीकृत ।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत सरकार से विमुक्त NHM अन्तर्गत Other Health System for Activities Covered under NRHM एवं Flexible Pool for Non Communicable Diseases मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 152.59+12.97=165.56 करोड़ (एक सौ पैंसठ करोड़ छप्पन लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 101.7266+8.6466=110.3733 करोड़ (एक सौ दस करोड़ सैंतीस लाख तेतीस हजार रुपये) अर्थात् कुल 275.9333 करोड़ (दो सौ पचहत्तर करोड़ तिरानवे लाख तेतीस हजार रुपये) वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि में से सहायक अनुदान के रूप में राज्य स्वास्थ्य समिति को बकाया मद के रूप में उपलब्ध कराया जाना है ।

2. राज्य स्वास्थ्य समिति का पत्रांक-1054, दिनांक-17.05.2019 एवं पत्रांक-8741, दिनांक-14.03.2019 के द्वारा NHM अन्तर्गत Other Health System for Activities Covered under NRHM एवं Flexible Pool for Non Communicable Diseases मद में प्राप्त 60:40 के अनुपात में अनुमानित केन्द्रांश मद में रुपये 152.59+12.97=165.56 करोड़ (एक सौ पैंसठ करोड़ छप्पन लाख रुपये) एवं समानुपातिक राज्यांश मद में रुपये 101.7266+8.6466=110.3733 करोड़ (एक सौ दस करोड़ सैंतीस लाख तेतीस हजार रुपये) अर्थात् कुल 275.9333 करोड़ (दो सौ पचहत्तर करोड़ तिरानवे लाख तेतीस हजार रुपये) वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपबंधित राशि में से सहायक अनुदान मद में राज्य स्वास्थ्य समिति को व्यय निमित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

3. राज्य स्वास्थ्य समिति के उक्त पत्रों के प्रसंग में वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत सरकार के राजकोषीय माध्यम से विभिन्न आवंटनादेशों द्वारा उपलब्ध करायी गयी राशि की विवरणी निम्नवत है :-

Details of Fund received from Govt.of India(2018-19)					
Sl.No.	Letter no.	Date	Amount(Center Shares-60%)	Amount (State Shares-40%)	Total
Other Health System for Activities covered under NRHM					
1	G.27017-28/2018-19/NHM-(Finance)/5	08.03.2019	148800000	99200000	248000000
2	G.27017-27/2018-19/NHM-(Finance)/4	08.03.2019	1339600000	893066667	2232666667
3	G.27034/47/2018-NHM (Finance)/4	22.03.2019	7700000	5133333	12833333
4	G.27034/47/2018-NHM (Finance)/5	22.03.2019	22100000	14733333	36833333
5	G.27034/47/2018-NHM (Finance)/6	22.03.2019	1900000	1266667	3166667
6	G.27034/47/2018-NHM (Finance)/7	22.03.2019	4600000	3066667	7666667
7	G.27034/47/2018-NHM (Finance)/8	22.03.2019	1000000	666667	1666667
8	G.27034/47/2018-NHM (Finance)/9	22.03.2019	200000	133333	333333
	Total		1525900000	1017266667	2543166667
Flexible Pool for Non Communicable Diseases (NCD)					
1	F.No.G.27018/02/2018-NHM-F/(NCD)(E) Government of India, MH&FW	28.02.2019	51300000	34200000	85500000
2	F.No.G.27018/02/2018-NHM-F/(NCD)(E) Government of India, MH&FW	28.02.2019	76400000	50933333	127333333
3	F.No.G.27018/02/2018-NHM-F/(NCD)(E) Government of India, MH&FW	28.02.2019	2000000	1333333	3333333
	Total		129700000	86466666	216166666
	Total (i+ii)		1655600000	110 3733333	2759333333

4. राज्यांश एवं केन्द्रांश मद की उक्त राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2019-20 में अधोलिखित उपशीर्षो अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा:-

(क) राज्यांश:-

(i) उक्त राशि मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-0301-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037890301, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 18,00,00,000/-में से कुल रुपये 18,00,00,000/- (अठारह करोड़ रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

143(10)
14-06-19

(ii) मांग संख्या-20 के मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, 110-अस्पताल तथा औषधालय, 0303-एन0आर0एच0एम0 सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210031100303, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 40,10,00,000/-में से कुल रुपये 40,10,00,000/- (चालीस करोड़ दस लाख रुपये) एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान-वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि रुपये 2,20,20,00,000/-में से रुपये 52,27,33,333/- (बावन करोड़ सत्ताइस लाख तेतीस हजार तीन सौ तेतीस रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

(ख) केन्द्रांश:-

(i) मांग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, उपमुख्य शीर्ष-03-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं-एलोपैथी, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना-उपशीर्ष-0201-एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, विपत्र कोड-20-2210037890201, पी0एफ0एम0एस0 कोड-9156, विषय शीर्ष-31 04-सहायक अनुदान-वेतन मद में उपबंधित राशि रुपये 38,08,00,000/-में से कुल रुपये 38,08,00,000/- (अड़तीस करोड़ आठ लाख रुपये) एवं विषय शीर्ष-31 06-सहायक अनुदान- वेतनादि के अलावा मद में उपबंधित राशि रुपये 2,18,40,00,000/-में से रुपये 1,27,48,00,000/- (एक अरब सत्ताइस करोड़ अड़तालिस लाख रुपये) मात्र उपबंधित राशि से विकलनीय होगी।

5. इस राशि की निकासी अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा किया जाएगा और नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक, प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएं, बिहार, पटना होंगे।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी इस राशि की निकासी बी0टी0सी0 फॉर्म संख्या-46 में कर खाता अंतरण के माध्यम से राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के पी0एल0 खाता-PLA-263 विपत्र कोड-K8448001200027 में सुलभ कराएंगे। राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार विहित प्रक्रिया के अनुसार राशि का व्यय करेंगे।

7. राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार वित्त विभाग के परिपत्र सं0-8244, दिनांक-02.08.2010 की कंडिका-2(ख) के आलोक में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रशासी विभाग के माध्यम से महालेखाकार, बिहार को उपलब्ध कराएंगे तथा उसकी एक प्रति महालेखाकार, भारत सरकार के कार्यालय को भी भेजेंगे। साथ ही, बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-341 के अनुरूप अंकेक्षित लेखा विवरणी उपलब्ध कराने की भी अनिवार्यता रहेगी।

8. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभागीय परिपत्र सं0-2561/वि0(2) दिनांक-17.04.1998, 2419/वि0(2) दिनांक-05.04.2007, 8593/वि0(2) दिनांक-27.11.2007, 96/वि0(2) दिनांक-03.01.2008, 3923/वि0(2) दिनांक-09.04.2010 एवं अद्यतन परिपत्रों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

9. प्रस्ताव एवं प्रारूप में माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

10. प्रस्ताव एवं प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट) के पृष्ठ-169/टि0 पर प्राप्त है।

143(10)
14-06-19

11. राशि की निकासी विकास भवन, नया सचिवालय कोषागार, पटना से की जाएगी ।
12. राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
13. एतद्संबंधी आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,



(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव ।

ज्ञापांक-10/यो0-1-01/2015 (पार्ट)-.....143.....(10) /स्वा0, पटना, दिनांक-14-06-19

प्रतिलिपि- योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार/जिला पदाधिकारी, पटना/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


प्रतिलिपि-सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि-अवर सचिव/प्रधान लेखा पदाधिकारी(Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, रूम नं0-331-सी., निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-उप निदेशक(ए0जे0एस0)/प्रधान लेखा पदाधिकारी (Compilation Section), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण निदेशालय, रूम नं0-523-सी.विंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, VBD Section, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110011 को सूचनार्थ प्रेषित ।

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/लेखा शाखा, स्वास्थ्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी-10 एवं प्रशाखा-10 के सभी सहायक/आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को अपलोड हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



सरकार के विशेष सचिव ।